

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०-3, लखीमपुर-खीरी।

कामिनी

बनाम

अनुमोद कुमार

मु०नं०-41/2019

अ०सं०-156/2018

अ०धारा-279,304A,427

भा०दं०सं०,

थाना-हैदराबाद, जिला -खीरी।

08-07-2024

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पुकार करायी गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी दिनांक 24.08.22 एवं 18.10.19 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रही परन्तु उसके द्वारा न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2019 को दाखिल करने हेतु समय चाहा गया था। पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी परिवादिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी इस अंतिम पत्र की कार्यवाही को अग्रसारित किये जाने हेतु इच्छुक नहीं है।

अतः परिस्थितियों को दृष्टिगत यह अंतिम पत्र पत्रावली परिवादिनी की अनुपस्थिति में निरस्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट नं०-3, लखीमपुर-खीरी।